न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 09 / 2023

अनवान : –

1. सुमेरसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी खुंईया तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना रावतसर तहसील रावतसर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –02/12/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा खुंईया तहसील नोहर के खाता स0 91 / 91 की कुल 6.3910 हैक्ट भूमि सायल के पिता करणीसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ख0न0 952 / 548 एवं ख0न0 548 / 1 की वाद भूमि पर सायल व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में है।

वाद भूमि पर सायल का कब्जा है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत करने की योजना बना रहे है। यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को ताफैसला दावा पाबन्द किया जावे की उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की ख0न0 952 / 548 की भूमि इ0गा0न0प0 विभागीय भूमि है। इस भूमि पर इ0गा0न0प0 की भूमि है जिस पर नहरी विभाग का कब्जा है सायल का कोई कब्जा नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र वजमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र [illegible] के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का [illegible] अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:09:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि इ0गा0न0प0 विभाग के नाम दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है जबकि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है तो अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीग का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:09:04 IST
Reason: SelfAttested